न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)बालोतरा

पीठासीन अधिकारी–श्री विवेक व्यास,आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :–112/2021

वादीगण बनाम प्रतिवादीगण

1.हनुमानराम पुत्र जगाराम 2.रणछोड़राम पुत्र जगाराम जाति कुम्हार निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा व जिला बाड़मेर	1.सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग बाड़मेर 2.सामाजिक सुरक्षा अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कार्यालय बालोतरा 3.राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1.श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता वादीगण की ओर से उपस्थित।

2.तहसीलदार पचपदरा प्रतिवादी संख्या 03 उपस्थित।

3.प्रतिवादी संख्या 01 व 2 एकतरफा।

<u>निर्णय</u>

दिनांक– 27.6.2023

1.संक्षेप में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि वादीगण की खातेदारी भूमि ग्राम जेरला तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1000/409 रकबा 24–18 बीधा भूमि अवस्थित है,जिसमें वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीगण की खा[illegible] के लगते प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का खसरा संख्या 1001/409 अवस्थित है प्रतिवादी [illegible] की भूमि व वादीगण की खातेदारी भूमि का आपस में सेड़ा मिलता है। वादीगण की [illegible]दारी भूमि के सीमा विवाद के निस्तारण हेतु तथा भविष्य में भूमि की सीमा को लेकर कोई विवाद नहीं हो,इसलिए वादीगण की ओर से अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु माननीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.01 22:17:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

न्यायालय में आवेदन पेश किया,जो बाद वादीगण/प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार हुआ। जिसकी पालना में नेखमबंदी पालना दिनांक 13.6.2019 को सम्पन्न हुए,जिसमें वादीगण की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 विभाग का परिशिष्ट अ में दर्शित ए से डी अवैध अतिक्रमण होना पाया गया। जो प्रतिवादी को हटवानें हेतु कहे जाने पर भी अवैध अतिक्रमण नहीं हटवाया गया। जिससे क्षुब्ध होकर वादीगण की ओर से यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया गया। अतःवादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्धारा वादपत्र के संलग्न परिशिष्ट अ में वर्णित भूमि मार्क ए,बी,सी,डी, वादीगण के मालिकाना खातेदारी की खुली भूमि पर किये गये अवैध अतिचार करार दिया जाकर ऐसे अतिक्रमण को हटाया जाकर भूमि वादीगण को कब्जा सुपुर्द किया जावें तथा प्रतिवादी के विरूद्व स्थाई निधेषाज्ञा जारी करवाने का वाद पेश किया गया है।

2.वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये रजिस्ट्रर्ड सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उक्त प्रतिवादी के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 03 की ओर से जवाब पेश नहीं किए जाने पर जवाब बन्द किया गया।

3.प्रतिवादी संख्या 01 व 2 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही पारित होने व प्रतिवादी संख्या 03 का जवाब बन्द होने के कारण तनकीयात कायम की आवश्यकता नहीं रही। वादी गवाहान में पी.डब्ल्यू–1 स्वंय हनुमानराम द्वारा लिखित बयानात स्वरूप शपथ पत्र पेश किया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में ई.एक्स.पी.1–नजरी नक्शा परिशिष्ट अ में दर्शित अवैध अतिक्रमण ए,बी,सी,डी मार्क प्रति,ई.एक्स.पी.2–ग्राम जेरला तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 407 ,408 , 1000/409 व 1004/409 जमाबंदी संवत 2076–2079 तक, ई.एक्स.पी.3–इसी ग्राम की खसरा संख्या 1001/409 व 1016/432 जमाबंदी संवत 2076 से 2079 तक, ई.एक्स.पी. 4–इसी ग्राम की नक्शा ट्रेस प्रति,ई.एक्स.पी.5–फर्द मौका कार्यवाही दिनांक 13.6.2019 की प्रमाणित प्रति,ई.एक्स.पी.6–मौका फर्द के संलग्न नक्शा प्रति, ई.एक्स.पी.7–प्रतिवादी को स्टेच्यूटरी नोटिस जारी दिनांक 10.6.2020 की प्रति, ई.एक्स.पी.8 व 9 रजिस्ट्रर्ड सम्मन प्राप्ति

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.01 22:17:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

की रसीद प्रति,ई.एक्स.पी.10–मुकदमा संख्या 501/2017 अनवान हड़मान बनाम वासुदेव वगैरा की आदेशिका आर्डरशीट प्रमाणित प्रति,ईएक्स.पी.11–प्रार्थीगण हड़मानराम द्वारा आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 111,128 आर.एल.आर.एक्ट के तहत प्रस्तुत प्रमाणित प्रति,ईएक्स.पी.12–प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 आर.एल.आर. का विप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रमाणित प्रति,ईएक्स.पी.13–नेखमबंदी प्रकरण संख्या 501/2017 अनवान हड़मानराम बनाम वासुदेव वगैरा में पारित आदेश दिनांक 20.12.2017 की प्रमाणित प्रति,ई.एक्स.पी14–भू अभिलेख निरीक्षक बालोतरा के नाम जारी नेखमबंदी आदेश की प्रमाणित प्रति,ई.एक्स.पी.15–भू अभिलेख निरीक्षक बालोतरा की मौका रिपोर्ट दिनांक 16.4.2021 की, प्रमाणित प्रति,ई.एक्स.पी.16–मौका फर्द कार्यवाही दिनांक 15.4.2021 की प्रमाणित प्रति व ई.एक्स.पी17–विवादित भूमि की नेखमबंदी कार्यवाही को कन्फर्म करने का आदेश दिनांक 28.4.2021 की प्रमाणित प्रति प्रदर्शित करवाई गई।

4.उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने वादपत्र के तथ्यों को दोहरातें हुए अपनी बहस में तर्क दिये कि वादीगण की खातेदारी भूमि ग्राम जेरला तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1000/409 रकबा 24–18 बीधा भूमि अवस्थित है,जिसमें वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीगण की खातेदारी भूमि के लगते प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का खसरा संख्या 1001/409 अवस्थित है। प्रतिवादी विभाग की भूमि व वादीगण की खातेदारी भूमि का आपस में सेड़ा मिलता है। वादीगण की खातेदारी भूमि के सीमा विवाद के निस्तारण हेतु तथा भविष्य में भूमि की सीमा को लेकर कोई विवाद नहीं हो,इसलिए वादीगण की ओर से अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु माननीय न्यायालय में आवेदन पेश किया,जो और सुनवाई वादीगण/प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार हुआ। जिसकी पालना में नेखमबंदी से विवादित भूमि की नाप पैमाईश दिनांक 13.6.2019 को सम्पन्न हु[illegible] की कार्यवाही के अनुसार वादीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1000/409 में आगे से [illegible] फीट व पीछे से 35 फीट चौडाई में तथा 150 फीट लम्बाई में प्रतिवादी विभाग के मालिक[illegible] की भूमि खसरा संख्या 1001/409 की हद से बाहर था,जो अवैध होने से अतिक्रमण हटाये जाने योग्य है।

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.01 22:17:05 IST
Reason: SelfAttested

नाप,सीमाज्ञान,पत्थरगढी करने की कार्यवाही को 02 वर्ष का ,समय होने के उपरांत भी प्रतिवादी विभाग द्वारा वादीगण की खातेदारी भूमि पर किया गया अतिक्रमण,अतिचार नहीं हटाया गया,जिसे हटाने हेतु प्रतिवादी विभाग के कर्मचारी/अधिकारीयों को वादीगण को समय समय पर मौखिक निवेदन किया,उसके उपरांत भी अतिक्रमण नही हटाया,जिस पर वादीगण की ओर से लिखित स्टेच्यूटरी नोटिस प्रतिवादी विभाग को दिनांक 11.6.2020 व 24.6.2020 को प्राप्त हुए। कि वादीगण उक्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार होने से प्रतिवादी विभाग द्वारा मार्क ए से डी भाग पर किए गये अवैध अतिक्रमण हटवानें व कब्जा प्राप्ति करने का हकदार है। अपनी बहस को जारी रखतें हुए आगे ओर तर्क दिया कि नेखमबंदी कार्यवाही रिपोर्ट दिनांक 13.6.2019 में प्रतिवादी विभाग का वादीगण की भूमि पर अवैध अतिचार अतिक्रमण होना पाया गया है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम जैरला तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1000/409 रकबा 24–18 बीधा भूमि के वादपत्र संलग्न परिशिष्ट अ में वर्णित भूमि मार्क ए से डी वादीगण के मालिकाना खातेदारी की खुली भूमि पर किये गये अवैध कब्जा हटाया जाकर वादीगण को सुपुर्द किया जावे एवं प्रतिवादी के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें,कि वादीगण की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी नहीं करे एवं पुनः जबरन कब्जा नहीं किया जावें।

5.इसके विपरीत प्रतिवादी संख्या 03 की बहस है कि वादीगण की ओर से वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 1001/409 ग्राम जैरला में अवस्थित भूमि में वादपत्र के संलग्न परिशिष्ट अ में दर्शित ए से डी मार्क भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 व 2 विभाग द्वारा अवैध कब्जा कर रखनें को हटवानें के लिए वाद लाए गये है,जिसे साबित करने का भार वादी पक्ष पर है। अपनी बहस को आगे जारी रखतें हुए कथन किया कि पत्रावली के संलग्न [illegible] अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 विभाग का कब्जा होना [illegible] संख्या 1 व 2 का पक्का निर्माण होने के कारण हटाया जाना संभव प्रतीत नहीं होता। इसके लिए वादीगण की दबी हुए भूमि के बदले प्रतिवादी विभाग की खाली पड़ी भूमि विनिमय के जरिये दिए जाने से वादी पक्ष को राहत मिल सकती है।

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.01 22:17:05 IST
Reason: SelfAttested

5.हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजात,नेखमबंदी मौका फर्द रिपोर्ट एंव बयानात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम जेरला तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 407,408,1000/409 व 1004/409 कुल रकबा 40-01 बीघा भूमि वादीगण की संयुक्त खातेदारी में अवस्थित है,जो वादपत्र के संलग्न प्रदर्श-02 अवलोकन से स्पष्ट है। वादीगण की ओर से अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि में से खसरा संख्या 1000/409 भूमि में वादपत्र के संलग्न परिशिष्ट अ में दर्शित ए से डी मार्क प्रतिवादी संख्या 1 व 2 विभाग द्वारा किए गए अवैध कब्जा हटवानें के लिए मुख्य इस्तदुआ चाही गई है,जो प्रदर्श -01 दस्तावेज प्रदर्शित किया गया है। वादीगण की ओर से वाद लाने से पूर्व 80 सी.पी.सी. के तहत स्टेच्यूटरी नोटिस प्रतिवादी संख्या 01 व 2 मय विभाग के उच्चतम अधिकारी को दिनांक 10.6.2020 को जारी कर रखा है,जो पत्रावली के संलग्न प्रदर्श-07 है और रजिस्ट्रर्ड नोटिस जारी करने की रसीदे प्रदर्श-08 व 09 है। वादीगण की ओर से अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 407,408,1000/409,1004/409 की नेखमबंदी करवानें हेतु इस न्यायालय में आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया गया था,जो मुकदमा संख्या 501/2017 पर दर्ज हुआ,जो प्रदर्श-11 है। उक्त आवेदन पर हुई समस्त कार्यवाही की आदेशिका प्रतिया,जो प्रदर्श-10 है। नेखमबंदी आवेदन पर पारित आदेश दिनांक 20.12.2017,जिसकी प्रदर्श-13 है। उक्त आदेश की पालना करवानें हेतु भू.अ.निरीक्षक बालोतरा के नाम तहरीर जारी की गई,जो प्रदर्श-14 है। वादीगण की विवादित भूमि की भू.अ. निरीक्षक बालोतरा द्वारा की गई पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 16.4.2021,जिसकी प्रदर्श-15 प्रति है। मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 15.4.2021,जिसकी प्रदर्श-16 प्रति है। विवादित भूमि की कन्फर्म आदेश दिनांक 28.4.2021,जिसकी प्रदर्श-17 है। पत्रावली के संलग्न स[illegible]स्तावेजात के अवलोकन से यह तो स्पष्ट है कि वादीगण की [illegible] संख्या 1 व 2 के विभाग द्वारा अवैध कब्जा कर रखा है,जो कि कानूनन वै[illegible]हीं माना जा सकता है। फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 13.6.2019 के अनुसार विवादित बिन्दु ई व एफ जो कि खसरा संख्या 1000/409 की उतरी माठ है,जो समाज कल्याण विभाग के छात्रावास के अन्दर

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.01 22:17:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

8 गढा तक आता है,जो प्रदर्श–05 के अवलोकन से स्पष्ट है और अवैध कब्जा को नक्शा प्रति प्रदर्श–06 में दर्शित है। इसी प्रकार नेखमबंदी प्रकरण मुकदमा संख्या 501/2017 में पारित आदेशिका दिनांक 28.4.2021 में भी विवादित भूमि खसरा संख्या 1000/409 की भूमि के कुछ भाग पर समाज कल्याण विभाग का पक्का कब्जा होना पाया गया है। इसी प्रकार भू.अ. निरीक्षक बालोतरा की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 16.4.2021 अनुसार वादीगण की कुछ भूमि पर समाज कल्याण विभाग का कब्जा है और मौके पर दीवारें तथा कमरे बने हुए है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादीगण की कुछ भू भाग भूमि पर समाज कल्याण विभाग का कब्जा होना पाया जाता है। लेकिन समाज कल्याण विभाग का कुछ भू भाग पर पक्का निर्माण सहित कब्जा है,जो कि मौका फर्द अनुसार चार दीवारी व कमरे बने हुए है। न्यायिक द्वष्टिकोण अपनाते हुए पक्का निर्माण को हटाया जाना संभव नहीं रहता है। तहसीलदार पचपदरा द्वारा अपनी बहस में यह भी जाहिर किया था,कि समाज कल्याण विभाग का मौके पर पक्का निर्माण कर रखा है और उक्त कब्जे की भूमि के बदले वादीगण को समाज कल्याण विभाग की खुली पड़ी भूमि विनिमय के तहत दी जा सकती है,जिससे दोनो पक्षो को किसी प्रकार की क्षति नहीं होगी। उक्त प्रस्ताव को वकील वादीगण द्वारा स्वीकार किया कि वादीगण की दबी भूमि के पास समाज कल्याण विभाग की खाली पड़ी भूमि दी जाती है,तो आपति नहीं है। न्यायालय का भी यही मानना है कि वादीगण की भूमि पर समाज कल्याण विभाग द्वारा किया गया कब्जा भूमि के बदले उसके समान ही खाली पड़ी भूमि वादीगण को क्षतिपूर्ति के तहत दिए जाने से किसी पक्षकार को कोई नुकसान नहीं होगा। न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बावजूद रजिस्टर्ड सम्मन तामीली के उपस्थित नहीं हुए और सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई। जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अपने कर्तव्य के प्रति जवाबदेह नहीं है। इस प्रकार विवेचन करने के उपरांत यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि वादीगण की भूमि पर समाज कल्याण विभाग द्वारा किया गया अवैध कब्जा की भूमि के बदले विनिमय के तहत वादीगण को भूमि प्रदान करने हेतु राहत दी जानी न्यायसंगत प्रतीत होती है और यह वादीगण अपने साक्ष्य सबूतो के आधार पर साबित करने में सफल भी रहें है।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.01 22:17:05 IST
Reason: SelfAttested

6.लिहाजा वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम जेरला तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1000/409 रकबा 24–18 बीघा भूमि में नेखमबंदी मौका फर्द दिनांक 13.6.2019 प्रदर्श–05 व नजरी नक्शा प्रदर्श–06 में दर्शित ए से बी लाल मार्क समाज कल्याण विभाग का कब्जा होना पाया गया है,उक्त कब्जे की भूमि के बदले वादीगण को समाज कल्याण विभाग की खाली पड़ी भूमि विनिमय के तहत दी जानी उचित है। विनिमय के तहत दी जानी वाली भूमि सरकारी है और सरकारी भूमि का विनियम के तहत वादीगण को दिए जाने हेतु केवल श्रीमान जिला कलक्टर महोदय सक्षम है। अतः तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है,कि वादीगण की भूमि पर समाज कल्याण विभाग द्वारा कर रखें कब्जे की भूमि प्रदर्श–05 व प्रदर्श–06 में अंकन अनुसार उसके बदले में समाज कल्याण विभाग की खाली पड़ी भूमि समानान्तर विनिमय के तहत दिए जाने हेतु प्रस्ताव मय अनुशंसा सहित श्रीमान जिला कलक्टर बाड़मेर को प्रेषित करें। इस आशय की तहरीर तहसीलदार पचपदरा को जारी हो। प्रदर्श–05 व 06 निर्णय का अभिन्न अंग रहेगें। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हों।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 27.6.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.01 22:17:05 IST
Reason: SelfAttested

मूलवाद में अंतिम डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:—श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस.

अनवान

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1.हनुमानराम पुत्र जगाराम		1.सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग बाड़मेर
2.रणछोडराम पुत्र जगाराम		2.सामाजिक सुरक्षा अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कार्यालय बालोतरा
जाति कुम्हार निवासी बालोतरा		3.राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार पचपदरा
तहसील पचपदरा व जिला बाड़मेर		

राजस्व वाद बाबतः—183,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर 112 / 2021

निर्णय दिनांक :—27.6.2023

वादीगण की ओर से श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी संख्या 03 तहसीलदार पचपदरा की उपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एकतरफा इस वाद में आज तारीख 27.6.2023 को श्री विवेक व्यास (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है कि**:—वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम जेरला तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1000 / 409 रकबा 24—18 बीघा भूमि में नेखमबंदी मौका फर्द दिनांक 13.6.2019 प्रदर्श—05 व नजरी नक्शा प्रदर्श—06 में दर्शित ए से बी लाल मार्क समाज कल्याण विभाग का कब्जा होना पाया गया है,उक्त कब्जे की भूमि के बदले वादीगण को समाज कल्याण विभाग की खाली पड़ी भूमि विनिमय के तहत दी जानी उचित है। विनिमय के तहत दी जानी वाली भूमि सरकारी है और सरकारी भूमि का विनियम के तहत वादीगण को दिए जाने हेतु केवल श्रीमान जिला कलक्टर महोदय सक्षम है। अतः तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है,कि वादीगण की भूमि पर समाज कल्याण विभाग द्वारा कर रखें कब्जे की भूमि प्रदर्श—05 व प्रदर्श—06 में अंकन अनुसार उसके बदले में समाज कल्याण विभाग की खाली पड़ी भूमि समानान्तर विनिमय के तहत दिए जाने हेतु प्रस्ताव मय अनुशंसा सहित श्रीमान जिला कलक्टर बाड़मेर को प्रेषित करें। इस आशंय की तहरीर तहसीलदार पचपदरा को जारी हो। प्रदर्श—06 का अभिन्न अंग रहेगें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 27.6.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.01 22:17:05 IST
Reason: SelfAttested

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) * बालोतरा *

वाद के खर्चे

वादीगण	रूपया	प्रतिवादीगण	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2.अर्जी के लिए स्टाम्प	
3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3.प्लीडर की फीस	
4.....रूपये पर प्लीडर की फीस		4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	———
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय	———	5.आदेशिका की तामील	
6.कमिश्नर की फीस		6.कमिश्नर की फीस	
7.आदेशिका की तामिल			
जोड़	———	जोड़	———

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.01 22:17:05 IST
Reason: SelfAttested